नम्बर व ...
अहकाम जो ...
हुक्म की तामील
में जारी हुए

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रायपुर जिला भीलवाड़ा राज.

राजस्व लोक अदालत-न्याय आपके द्वार 2018

पीठासीन अधिकारीः–राजलक्ष्मी गहलोत, आर.ए.एस.
मुकदमा नम्बरः–40 / 2018 प्रार्थना पत्र

अनवान

1–देउबाई पत्नी हरलाल गुर्जर निवासी मासिंगपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा।
2–नोसीबाई पत्नी प्रभुलाल गुर्जर निवासी मासिंगपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा।
3–गोपीबाई पत्नी हरलाल गुर्जर निवासी मासिंगपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा।

प्रार्थीगण

बनाम

1–राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर जिला भीलवाड़ा।

विपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर0टी0एक्ट.

उपस्थित
फारूख मोहम्मद– अधिवक्ता प्रार्थीगण

निर्णय

दिनांक 19.05.2018

पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार / केम्प कोर्ट मोखुन्दा मे पेश हुई। प्रकरण का सक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि ग्राम मासिंगपुरा पटवार हल्का मोखुन्दा तहसील रायपुर की सीमा से लगती हुई सीमा ग्राम जिलोला तहसील आमेट जिला राजसमन्द है जो राजस्व नक्शे में आपस में मिली हुई है प्राथीगण मुलतः ग्राम मासिंगपुरा के निवासी हैं। तथा उनकी कृषि भूमियां सामलाती रूप से अन्य खातेदारो के साथ ग्राम जिलोला में स्थित है जिसके आराजी संख्या 2958, 2952 व 2953 होकर प्रार्थीगण उस पर काबिज होकर कास्त करते चले आ रहे हैं। प्रमाण मे नकल जमाबन्दी एवं नवीन नक्शा ट्रेस ग्राम जिलोला प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत है। इसी प्रकार विपक्षी संख्या 1 के नाम राजस्व रेकार्ड में प्रार्थीगण की उक्त वर्णित आराजियात के पास ग्राम मासिंगपुरा तहसील रायपुर की सीमा में नवीन आराजी संख्या 721 / 1683 रकबा 3.33 है0 व आराजी संख्या 683 रकबा 3.75 है0 व आराजी संख्या 684 रकबा 0.48 है0 किस्म गैमु. मंगरी दर्ज रेकार्ड है जिसमें पुर्व से राजस्व रेकार्ड में नवीन रास्ता दर्ज है। जिसके नम्बर 682 / 712 है। इस रास्ते से होकर प्रार्थीगण वर्षों से अपनी कृषि भुमि जो ग्राम जिलोला की सीमा में स्थित है में सदैव से आवागमन, पैदल, संज, बैल, टैक्टर आदि से करते चले आ रहे है उक्त वर्णित भुमि बिलानाम पहाडिया व पर्वत हेतु दर्ज रिकार्ड है। प्रमाण में नकल नवीन जमाबन्दी संवत् 2070 से 2073 एवं नक्शा ट्रेस प्रार्थनापत्र के साथ प्रस्तुत है। प्रार्थीगण अपनी आराजी संख्या 2958, 2952, 2953 व 2755 में आवागमन पैदल, संज, बैल, टैक्टर आदि से विपक्षी की संख्या 1683 / 712 में दर्ज रास्ते से होकर नवीन आराजी संख्या 686 के पश्चिमी ओर होकर आगे आराजी संख्या 683 व 684 की उत्तरी पाली पर होते हुये आगे आराजी संख्या 684 की पुर्वी पाली पर होकर अपनी आराजियात में जाते हैं। इसी रास्ते से होकर प्रार्थीगण अपनी आराजियात में फसल कास्त करते रहे हैं एवं अपने मवेशी वगैरह लाते ले जाते रहे हैं। उक्त रास्ता सर्दव से प्रार्थीगण के खेतों में आवागमन के उपयोग में आता था। फसल कास्त करने के समय प्रार्थीगण इसी रास्ते से होकर टैक्टर, बैलगाडी आदि ले जाकर अपनी आराजियात में फसल बोते चले आ रहे थे। विपक्षी ने उक्त रास्ते के उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की कोई बाधा या अवरोध उत्पन्न नहीं किया लेकिन विपक्षी राज सरकार होकर भूमिधारी होकर भुमि बिलानाम दर्ज रेकार्ड है। जिसे प्रार्थीगण राजस्व रेकार्ड में रास्ते के रूप में दर्ज कराने चाहते हैं इस हेतु यह प्रार्थनापत्र पेश किया है। प्रार्थीगण सदैव से अपनी आराजियात में आवागमन विपक्षी की आराजियात में करते चले आ रहे थे। लेकिन विपक्षी के नाम वर्णित भूमियों पर अतिक्रमण कर व्यवधान डाल रखे हैं। जिससे मौके पर अतिक्रमी आवागमन में बाधा उत्पन्न करते हैं। तथा रास्ते की भुमियों पर बाधा डालकर रास्ता अवरूध कर दिया हैप्रार्थीगण ने प्रार्थनापत्र के साथ प्रस्तावित चाहे गये रास्ते को दर्शित किया है। प्रार्थीगण की आराजियात में आवागमन करने का एक मात्र रास्ता यही है। इस रास्ते के अलाव प्रार्थीगण के खेतों में आवागमन करने का अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। प्रार्थीगण की आराजियात में आगमन करने का एक मात्र रास्ता विपक्षी की आराजियात जो बर्तमान में बिलानाम है में ही होकर जाता है। इसके अलावा अन्य कोई वैकल्पिक मार्ग प्रार्थीगण की आराजियात में पहुंच का नहीं है। प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया रास्ता जो

मौके पर आराजी संख्या 686 की पूर्वी और 683 की दक्षिणी पाली व 684 की पश्चिमी पाली पर प्रस्तावित नक्शा ट्रेस में स्याई से दर्शाया गया है जो प्रार्थीगण की आराजियात में जाता है को 15 फीट चौडाई के अनुपात में राजस्व रेकार्ड में अंकन कराया जाना आवश्यक हो गया है। रास्ते में समायोजित होने वाले रकबे की प्रार्थीगण नियमानुसार डी.एल.सी. दर पर राशि विपक्षी राज सरकार के हक में उनको अदा करने हेतु तैयार है। बिनाय प्रार्थना पत्र प्रार्थीयागण का रास्ता बंद करने व अतिक्रमी द्वारा रास्ता नहीं देने की दिनांक 15/04/2018 से उत्पन्न होकर निरन्तर जारी है और यह प्रार्थना पत्र अन्दर अवधि प्रस्तुत है।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर प्रकरण दिनांक 14.05.2018 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को नोटिस जारी किये गये। नोटिस की पालना मे विपक्षी उपस्थित हैं। तथा जवाब प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली किया गया। प्रस्तुत जबाव के अनुसार प्रार्थीगणों की ग्राम जिलोला के आराजी नम्बर 1952, 1953, 1955, 1958 खातेदारी में स्थित होकर उक्त आराजियात में जाने के लिए ग्राम मांसिगपुरा की सीमा में रास्ता बना नहीं हैं। वर्तमान में रास्ता बन्द नहीं है। ग्राम मांसिगपुरा की बिलानाम आराजी संख्या 1682/712, 1683/712, 683, 684 में होकर आवागमन चालू है। मौके पर उक्त रास्त के अलावा अन्य कोई रास्ता नहीं है। वर्तमान प्रार्थीगणों की आराजियात में जाने के लिए बिन्दु संख्या 2 में वर्णित आराजियात में होकर रास्ते को उपयोग किया जा रहा है। प्रस्तावित रास्ते में आराजी नम्बर 683 रकबा 720 वर्गमीटर, 684 रकबा 576 वर्गमीटर, 1683/712 रकबा 224 वर्गमीटर कुल किता तीन कुल रकबा 1520 वर्गमीटर बनता है। जिसकी डी.एल.सी. दर अनुसार 53570 रूपये प्रति बीघा होने से दोगुना राशि 74940/– रूपया बनती है। प्रस्तावित रास्ता संलग्न ट्रेस में लाल स्याही से दर्शाया गया है। प्रस्तावित रास्ते के अलावा अन्य कोई बैकल्पिक रास्ता नही है। अतः ग्राम मांसिगपुरा के आराजी नम्बर 683 रकबा 720 वर्गमीटर 684 रकबा 576 वर्गमीटर 1683/712 रकबा 224 वर्गमीटर कुल किता तीन कुल रकबा 1520 वर्गमीटर डी.एल.सी. दर 53570/– रूपये प्रति बीघा से दोगुना राशि 74940/– रूपये राज कोष में जमा कराने पर बिलानाम गैमु. रास्ता दर्ज करने की अभिशंषा की है।

मैने पत्रावली का अवलोकन किया तथा पत्रावली मे प्रस्तुत प्रार्थीगण एवं विपक्षी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज का मनन करने एवं एक तरफा बहस सुनी गयी तथा बहस पर मनन किया गया। ग्राम मांसिगपुरा के आराजी नम्बर 683 रकबा 720 वर्गमीटर 684 रकबा 576 वर्गमीटर 1683/712 रकबा 224 वर्गमीटर कुल किता तीन कुल रकबा 1520 वर्गमीटर डी.एल.सी. दर 53570/– रूपये प्रति बीघा से दोगुना राशि 74940/– रूपये राज कोष में जमा कराने पर बिलानाम गैमु. रास्ता दर्ज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण अपने प्रार्थना पत्र को सिद्ध कराने मे सफल रहने के कारण प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझता हुं। अतः

आदेश

ग्राम मांसिगपुरा पटवार हल्का मौखुन्दा के आराजी नम्बर 683 रकबा 720 वर्गमीटर 684 रकबा 576 वर्गमीटर 1683/712 रकबा 224 वर्गमीटर कुल किता तीन कुल रकबा 1520 वर्गमीटर डी.एल.सी. दर 53570/– रूपये प्रति बीघा से दोगुना राशि 74940/– चौहत्तर हजार नौ सौ चालीस रूपये राज्य कोष में जमा कराने पर बिलानाम गैमु. रास्ता राजस्व रिकार्ड दर्ज किये जाने का आदेश तहसीलदार रायपुर को दिया जाता है।

राजलक्ष्मी गहलोत
आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

निर्णय आज दिनांक 19.05.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा